न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 12/2022

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2022/46

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

मोहनलाल पुत्र दरगाराम वगैरह — माधा पुत्र हेमराज वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 22.04.2022

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 लगायत 8 की और से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि हेमराज के भी एक भाई पीरा थे जो दोनों गेना के बेटे थे जिनका प्रथम सर्वे के वक्त 1/2 हिस्सा खातेदारी में ग्राम प्रतापपुरा में था तथा 1/2 हिस्सा गुमानीया पुत्र मुकनीया का था जिनके नाम दर्ज खातेदारी पुराने खसरा संख्या 46 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 66 रकबा 62 बीघा खसरा नंबर 98 रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 100 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 105 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा जुमले रकबा 136 बीघा 17 बिस्वा जिसमें हेमराज व पीरा का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 गुमानीया का था तथा हेमराज के मौजा माखुपुरा में भी खातेदारी भूमि पुराने खसरा नंबर 689 रकबा 37 बीघा थी जो केवल हेमराज परिवार की थी। मौजा प्रतापपुरा की भूमि का आपसी विभाजन द्वितीय सर्वे के वक्त हो गया जिसके तहत आपसी विभाजन होकर नये सर्जित खसरा नंबर 525 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 526 रकबा 1.47 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.48 हैक्टेयर प्रभा पुत्र हेमराज को तथा खसरा नंबर 527 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 494/610 रकबा 0.30 हैक्टेयर [illegible] पुत्र दरगा पुत्र हेमराज को दि गयी तथा पुराने खसरा नंबर 46 रकबा 23 बीघा 5 [illegible] भूमि में से आधी भूमि सरकारी खाते में गलत ढंग से चली गई जिसमें हेमराज परिवार के हिस्से की भूमि 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि सरकारी खाते में चली गई। इस प्रकार ग्राम प्रतापपुरा की खातेदारी में से खसरा नंबर 526, 526, 527, 494/610 की भूमि हेमराज परिवार के पास जरिये बंटवाड़ा रही जिसमें प्रभा पुत्र हेमराज के पास 1.48 हैक्टेयर व माधा, दरगा के पास 2.03 हैक्टेयर तथा राजा के बंट में खसरा नंबर 257 रकबा 0.50 हैक्टेयर के इस प्रकार कुल 4.01 हैक्टेयर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

हेमराज परिवार में प्रतापपुरा की आई तथा ग्राम माखुपुरा की पुराने खसरा नंबर 689 के नये सृजित खसरा नंबर 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816 जुमले रकबा 5.99 हैक्टेयर भूमि माखुपुरा की हेमराज की परिवार में रही जो कुल 10.00 हैक्टेयर भूमि हेमराज के परिवार को मिली जिसमें प्रत्येक के बंट में 2.50 हैक्टेयर भूमि बंट में आती है जिसमें आपसी बंटवाड़ा कर हेमराज परिवार को 1.48 हैक्टेयर भूमि मौजा प्रतापपुरा में अलग कर दि जा चुकी है तथा 2.03 हैक्टेयर भूमि माधा व दरगा परिवार को अलग कर उसमें दि जा चुकी है। प्रतापपुरा की भूमि का बंटवाड़ा कम ज्यादा कब्जे के आधार पर करके अभी माखुपुरा का आपसी विभाजन शेष है। ऐसी स्थिति में जब तक आपसी विभाजन नहीं हो जाता है तब तक मुआवजा नहीं दिया जाने का स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। वादग्रस्त भूमि में ग्राम माखुपुरा की भूमि का मुआवजा समान रूप से खातेदारी के अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है तो जिसे ग्राम प्रतापपुरा में कम भूमि प्राप्त हुई है उनमें साथ भारी अन्याय व क्षति हुई है वह प्रतिवादी आज भी विभाग से मुआवजा प्राप्त करने हेतु आमदा है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम माखुपुरा के खेत खसरा नंबर 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816 जुमले रकबा 5.99 हैक्टेयर भूमि में बिना विधिवत विभाजन के कब्जे के अनुसार भुगतभोग दखलंदाजी नहीं करे व अवाप्त सुधार भूमि का मुआवजा बिना बंटवाड़ा प्रदान नहीं करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **13.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested